न्यायालय:—न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला (म०प्र०) (पीठासीन अधिकारी—धन कुमार कुड़ोपा)

<u>दा0प्र0क0-578 / 14</u> संस्था0दि0 04 / 09 / 14

मध्य प्रदेश शासन द्धारा आरक्षी केन्द्र, थाना आमला, जिला बैतूल (म०प्र०)

____<u>अभियोजन</u>

-: विरूद्ध :-

गणपति पिता चैतराम झाड़े, उम्र 30 वर्ष, जाति किराड़, पेशा नौकरी, निवासी परमण्डल, थाना आमला, जिला बैतूल (म0प्र0)

---- अभियुक्त

<u>—: निर्णय :—</u> (आज दिनांक 22 / 07 / 2016 को घोषित)

- 1— अभियुक्त के विरूद्ध भा0दं0वि0 की धारा 452 के तहत् अभियोग है कि दिनांक 25.08.14 समय शाम 11:00 बजे या उसके लगभग ग्राम रम्भाखेडी प्रार्थी के मकान के सामने, थाना आमला जिला बैतूल म0प्र0 के अंतर्गत फरियादी सुनिता उर्फ आशा के आधिपत्य के मकान में जो मानव निवास के रूप में उपयोग में आता है, मैं उपहित कारित करने की या उस पर हमला करने की या उसे सदोष अवरोध के भय में डालने की तैयारी करके प्रवेश कर गृह अतिचार किया।
- 2— प्रकरण में आदेश पित्रका दिनांक 18/07/16 एवं 22/07/16 के अनुसार अभियुक्त और फरियादी सुनिता उर्फ आशा एवं आहत मुकेश के बीच राजीनामा होने से आपसी राजीनामा आवेदन पत्र पेश किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध भा0दं0वि0 की धारा—294, 323, 325 एवं 506 भाग—2 का अपराध राजीनामा योग्य होने से अभियुक्त को भा0द0वि0 की धारा 294, 323, 325 एवं 506 भाग—2 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया गया।
- 3— अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी ग्राम रम्भाखेड़ी रहती है। मेहनत मजदूरी का काम करती है। दिनांक 25/08/14 को पोला का त्यौहार था रात करीब 11:00 बजे की बात है वह पड़ोसी देवीकाबाई से बातचीत करते बैठी थी कि उतने में गणपित आया और पुरानी रंजिश पर से उसे गंदी—गंदी गाली गुप्तार मादर चोद बहन चोद छिनाल कहकर गाली बक रहा था, जो उसने गाली देने से मना किया तो उसके साथ हाथ मुक्का थप्पड़ से मारपीट किया, वह चिल्लाने लगी तो बीच बचाव करने मुकेश गढेकर आया तो उसके साथ मारपीट किया जो मुकेश के

दांहिने हाथ की दुसरे नम्बर की उंगली में चाकू जैसी वस्तु से चोट आई एवं दांहिने हाथ की कलाई में चोट आई है। गणपित बोल रहा था कि थाने में किसी को बताया तो जान से खत्म कर दूंगा, ऐसी धमकी दे रहा था। घटना के समय संजय नरवरे, मुन्नालाल गढेकर, मां देवकीबाई ने देखा सुना है। रिपोर्ट करती हूँ कार्यवाही की जावे। 4— फरियादी की रिपोर्ट प्र0पी0 1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। जिसके आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध अप0कं0—685/14 भा.द.सं धारा—452, 294, 323, 506 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। दिनांक 28/04/14 को नक्शा मौका प्र0पी0 2 तैयार किया गया। फरियादी व आहत का मेडिकल मुलाहिजा तैयार किया गया। साक्षियों के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये गये, अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

5— अभियुक्त के विरूद्ध धारा 313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त का अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्त ने अपने अभियुक्त परीक्षण में बताया कि वह निर्दोष है उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त कथन के दौरान बचाव पक्ष ने प्रकरण में कोई बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

6— : न्यायालय के समक्ष यह विचारणीय प्रश्न यह है कि :--

1— ''क्या दिनांक 25.08.14 समय शाम 11:00 बजे या उसके लगभग ग्राम रम्भाखेडी प्रार्थी के मकान के सामने, थाना आमला जिला बैतूल म0प्र0 के अंतर्गत फरियादी सुनिता उर्फ आशा के आधिपत्य के मकान में जो मानव निवास के रूप में उपयोग में आता है, मैं उपहित कारित करने की या उस पर हमला करने की या उसे सदोष अवरोध के भय में डालने की तैयारी करके प्रवेश कर गृह अतिचार किया।?''

-: <u>निष्कर्ष एवं उसके आधार</u>:-विचारणीय प्रश्न क0 1 का निराकरण

7— अभियोजन साक्षी सुनिता उर्फ आशा (अ०सा० ०1) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि वह उसके घर में वह लोग घर के अंदर थे उसके पित से उसके भाईयों का घर के बाहर लड़ाई झगड़ा हो गया था। उसका पित उसे और उसके भाईयों को जान से मारने की धमकी दे रहा था। घटना के समय मुन्नालाल, देवकी उपस्थित थे। आरोपी ने गाली गलौच की थी। उसने आरोपी के खिलाफ थाना आमला में की थी जो उसकी रिपोर्ट प्र०पी० 1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने घटना का नक्शा मौका प्र०पी० 2 बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। आरोपी ने घर में घूसकर कोई मारपीट नहीं किया था। शासन की ओर से पक्षिविरोधी कर सूचक प्रश्न पूछने पर इस गवाह ने यह अस्वीकार किया है कि दिनांक 25/08/14 को आरोपी गणपित ने ग्राम रम्भाखेडी स्थित उसके मकान में घुसकर घर के अंदर उसके साथ कोई मारपीट किया। आगे इस गवाह ने यह भी अस्वीकार

किया है कि उसने पुलिस को प्र0पी0 3 का ए से ए भाग का बयान दिया। 8— आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 3 में यह स्वीकार किया है कि उसने उसकी मर्जी से बिना किसी डर दबाव के राजीनामा किया है। आगे इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि उसका आरोपी से आपसी सहमित से तलाक हो गया है। आगे इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि मुलताई न्यायालय में जो दहेज का केश चल रहा था वह भी खतम हो गया है। यह गवाह स्वयं फरियादी है। इस गवाह ने अपनी मुख्य परीक्षा, सूचक प्रश्न एवं प्रतिपरीक्षा से भा0द0वि0 की धारा—452 के तथ्यों का समर्थन नहीं किया है।

9— अभियोजन साक्षी मुकेश (अ.सा.2) ने अपनी मुख्य परीक्षा, सूचक प्रश्न में घटना घटित होने तथ्यों का समर्थन नहीं किया है।

10— उर्पयुक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्त ने फरियादी सुनिता उर्फ आशा के आधिपत्य के मकान में जो मानव निवास के रूप में उपयोग में आता है, मैं उपहित कारित करने की या उस पर हमला करने की या उसे सदोष अवरोध के भय में डालने की तैयारी करके प्रवेश कर गृह अतिचार किया। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न कं. 1 का निराकरण "अप्रमाणित" रूप से किया जाता है। 11— उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्धारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति—युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त ने फरियादी सुनिता उर्फ आशा के आधिपत्य के मकान में जो मानव निवास के रूप में उपयोग में आता है, मैं उपहित कारित करने की या उस पर हमला करने की या उसे सदोष अवरोध के भय में डालने की तैयारी करके प्रवेश कर गृह अतिचार किया। इस प्रकार अभियुक्त गणपित को भा0द0वि0 की धारा—452 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

12— प्रकरण में आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते है। धारा 428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

13— प्रकरण में जप्त शुदा सम्पत्ति कुछ नहीं है। निर्णय खुले न्यायालय मे हस्ताक्षरित एवं मेरे बोलने पर टंकित। दिनांकित कर घोषित किया गया।

(धनकुमार कुड़ोपा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, जिला बैतूल म0प्र0 (धनकुमार कुड़ोपा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, जिला बैतूल म०प्र0